

जमाबंदी

पटवारी रिपोर्ट

पटवारी जी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हान जमाबंदी के खान
 2025 व 209 के रतनसिंह पुत्र गोरखन व रतन सिंह पुत्र गोरखन दोनों
 जो एक ही रतनसिंह पुत्र गोरखन का नाम जरिये बिरासत दीहरी प्रविष्टि
 के खाता संख्या 509 में रतन सिंह पुत्र गोरखन के दुरुस्त किया जाना
 दोनों का ही विषय करके

कानाखेडी
 ग. - कानाखेडी
 क्षेत्र - कानाखेडी
 नसीराबाद
 अजमेर

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट

प्रमाणित, पटवारी रिपोर्ट एवम् संलग्न दस्तावेजों के अनुसार प्रवीं
 रतनसिंह के दोहरे नाम की प्रविष्टि को एकल किया जाना उचित
 होगा। - श्री ग. ल. कानाखेडी
 26/9/25

रार का नाम :-
 कालू सिंह पुत्र गोर
 गुमानो देवी पुत्र
 मानसिंह पुत्र
 रतन सिंह पुत्र
 5. रतनसिंह
 6. सरदार

तहसीलदार की रिपोर्ट

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व ILR प्रथा प्रस्तावित

शिविर प्रभारी

2025
 513

तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

क्रमांक / 221

दिनांक:- 01-10-25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एव इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कानाखेडी तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2079-2075 के खाता संख्या 509 व 233 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र स	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
2025 509	रतन सिंह पुत्र गोरखन 1/48 रतन सिंह पुत्र गोरखन 1/12 जेधवाडा	A/111-2	0.36	रतन सिंह पुत्र गोरखन 5/48 कालू देवी	A/111-2	0.36
233	- 40 -	A/111-7	9.39		A/111-7	9.39



क्रमांक - 5161-81
 प्रतिनिधि - 1. तहसीलदार नसीराबाद के पालक
 2. शिविर प्रभारी

दिनांक - 01-10-25

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
 नसीराबाद, जिला अजमेर